न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
गुडामालानी–बाडमेर

उनवान: **गंवरी बनाम नवलाराम**

प्रा0पत्रसं0 /2/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20.01.2025	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट–1955 का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल **खसरा संख्या** 108/0.3804 **है0 109/0.0809 है0 110/13.8807 है0 717/87/4.1683 है0 व खसरा संख्या 110/1/29.3316 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 47.8419** वाके ग्राम कडवासरों का धोरा एवं **खसरा संख्या 82/1/4.8562 है0 83/0.4371 है0 84/0.1295 है0 85/3.9335 कुल किता 04 कुल रकबा 9.3563** वाके ग्राम नाइयों का धोरा पटवार मण्डल नौखडा तहसील नौखडा जिला बाडमेर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक कब्जा काश्त आराजी है। उक्त पैतृक कब्जा काश्त आराजी में प्रार्थी ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। **अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करने पर आमादा है।** अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं वर्षो से उपजाउ बनाई भूमि व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने में कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के घोषणा के दावें के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की अंतरिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को मात्र दौहराया हुऐ प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक कब्जा काश्त आराजी प्रतीत होती है। उक्त पैतृक आराजी में प्रार्थी ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अपने पिता के नाम दर्ज आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। इस प्रकार प्रकरण में न्यायालय विचारण योग्य प्रकरण उपस्थित होना प्रतीत होता है। साथ ही यदि **अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करता है** तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। इस प्रकार की स्थिति में अप्रार्थी को उक्त आराजी के बैचान से रोकने से अप्रार्थी को हुई क्षति, की तुलना में अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के बैचान से प्रार्थी को हुई क्षति अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही न्यायालय अप्रार्थी को उक्त आराजी के बैचान से रोकने हेतु एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु अत्यावश्यक परिस्थितियों उत्पन्न होना पाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक पैतृक आराजी **खसरा संख्या 108/0.3804 है0 109/0.0809 है0 110/13.8807 है0 717/87/4.1683 है0 व खसरा संख्या 110/1/29.3316 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 47.8419** वाके ग्राम कडवासरों का धोरा एवं **खसरा संख्या 82/1/4.8562 है0 83/0.4371 है0 84/0.1295 है0 85/3.9335 कुल किता 04 कुल रकबा 9.3563** वाके ग्राम नाइयों का धोरा पटवार मण्डल नौखडा तहसील नौखडा जिला बाडमेर पर *जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण मुतनाजा आराजी पर जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्से तक* ***मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।*** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो कि क्यों नही उक्त अंतरिम आदेश को तामील करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावें एवं इस संबंध में कोई उज्र–एतराज हो तो दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। सहायक कलक्टर गुडामालानी सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

गावरी	वनाम	नवलाराम	
जीसीएमएस संख्या	2025/114	किस्म मुकदमा	12/25

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
20.01.25	पत्रावली आज दर्ज रजिस्टर की गई। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के सम्मन रजि. डाक द्वारा भेजकर रसीदे मय ट्रेक रिपोर्ट वास्ते पत्रावली दिनांक 10.02.25 को पेश हो। [signature]	
10.02.25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के सम्मन रजि. डाक द्वारा भेजकर रसीदे मय ट्रेक रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल हो। पत्रावली दिनांक 27.02.25 को पेश हो। [signature]	
27.02.25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 3/3/25 को पेश हो।	
03/3/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20/01/25 मूल वाद के [illegible] (confirm) की जाती है। पत्रावली [illegible] मूल वाद के [illegible] हो।	Adv. G. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी